

भर्ती-V अनुभाग

पद का नाम	खान सुरक्षा महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उप निदेशक खान सुरक्षा (खनन) के 18 (अठारह) (पीडब्ल्यूबीडी-01) (अ.ज.जा.-02, ईडब्ल्यूएस-02, अनारक्षित-14) पद हेतु भर्ती।	
विज्ञापन सं.	05/2023	
रिक्ति सं.	23030509511	
अनिवार्य योग्यता (अ.यो.)	<p>क) शैक्षिक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन इंजीनियरी में डिग्री या रॉयल चार्टर 1935 द्वारा निगमित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से खनन इंजीनियरी शाखा में एसोसिएट सदस्यता परीक्षा में सेक्शन ए और सेक्शन बी में उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) कोयला खान विनियम, 2017 (अप्रतिबंधित) के अधीन या धातुमय खान विनियम, 1961 (अप्रतिबंधित) के अधीन स्वीकृत प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र</p> <p>ख) अनुभव :</p> <p>बड़े और मशीनीकृत भूमिगत खानों में खनन का दस वर्ष का अनुभव।</p>	
वांछनीय योग्यता	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।	
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	पीडब्ल्यूबीडी	अ.यो.-क + अ.यो.-ख
	अ.ज.जा.	अ.यो.-क + अ.यो.-ख
	ईडब्ल्यूएस	अ.यो.-क + अ.यो.-ख
	अना.	अ.यो.-क + अ.यो.-ख को 10 वर्ष 9 महीने और इससे अधिक तक बढ़ा दिया गया है।
मानदंड	<p>i) प्रारंभिक संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p>	

ii) संवीक्षा के लिए अनुभव के रूप में केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर विचार किया गया है एवं ओआरए के अनुभव कॉलम में बिना इसके संदर्भ के संलग्न किए गए प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया गया है।

iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से खनन इंजीनियरी में डिग्री को संगत ईक्यू-क'(शैक्षिक योग्यता)के रूप में विचार किया गया है।

iv) संगत संकाय में 31.05.2013 तक पंजीकृत एएमआईई (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स) डिग्री को संगत अ.यो.- 'क' (शैक्षिक योग्यता) माना गया है और जिन उम्मीदवारों ने एएमआईई के लिए 01.06.2013 को या उसके बाद नामांकन किया है, उन पर पद हेतु विचार नहीं किया गया है।

v) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की न तो अंकतालिका और न ही डिग्री एवं निर्धारित प्रपत्र में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उन्हें पूर्ण संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

vi) अतिथि संकाय/ अंशकालीन/ प्रशिक्षु कार्य / अनुसंधान कार्य/ इंटरशिप अवधि / ट्रेड प्रमाण पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में संगत नहीं माना गया है और "अपूर्ण श्रेणी"के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

vii) ऐसे आवेदन जिनमें उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में अनिवार्य अनुभव के रूप में दावा किया गया है, के अनुभव संगत नहीं है उनको एलईक्यू ख[अनिवार्य योग्यता की कमी-ख (अनुभव)] श्रेणीके तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

viii) उम्मीदवार अपने कुल दावा किए गए अनुभव के कारण विचाराधीन क्षेत्र के अंदर आते हैं, लेकिन संगत अनुभव के रूप में गणना के दौरान बढ़ाए हुए अनुभव से कम लेकिन आवश्यक अनुभव से अधिक होने पर एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

ix) बढ़ाए गए मानदंड से कम अर्थात् 10वर्ष 9 महीने से कम अनुभव

का दावा करने वाले अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को विचारार्थ क्षेत्र के अधीन नहीं लिया गया है और एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

x) अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। हालांकि, जहां कहीं आवेदकों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है यदि सभी अनिवार्य सूचना उसमें उपलब्ध हैं।

xi) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्यागपत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों एवं उम्मीदवारों द्वारा स्वयं अभिप्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को संगत अनुभव की कमी के रूप में माना गया है और 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

xii) कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाने वाले अनुभव प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह, ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।

xiii) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों में धारित अनुभव पर विचार किया गया है। यदि अनुभव भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकल्पित अनुभव भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट अनिवार्य अवधि से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू-ख" के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है। केवल संगत अनुभव की समयावधि, जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अपेक्षित / संगत अनुभव दर्शाता है, पर विचार किया गया है। ऐसे आवेदक जो संगत अनुभव का दावा करते हैं लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है उनको "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।

xiv) कुछ उम्मीदवारों को एकाधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया है।

	टिप्पणी:- आयोग द्वारा मामला दर मामला के आधार परमानदंड तय किए जाते हैं।	
<u>शॉर्टलिस्ट किए गए अनुक्रमांक एवं अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक</u>	<u>साक्षात्कार में बुलाने हेतु:</u> <u>अनुक्रमांक:</u> 001, 006, 007, 019, 029, 030*, 037, 039, 041, 050, 051, 052, 056*, 059*, 061, 064*, 070*, 071, 073, 075*, 078/079^, 083, 084, 087, 091, 093, 094, 096*, 100/101^, 102*, 108, 110, 111/112^, 117, 119, 129, 130, 131/132/133^, 137/138^, 141, 142, 144, 147*, 148*, 151, 152, 157*, 168/169^, 181, 183, 190, 202, 207, 213/214^, 217*, 222, 223, 224*, 226, 233*, 234, 235, 240, 242, 243, 248, 251, 252, 254/255^, 260*, 273, 274, 275*, 279*, 289/290*^, 291, 296*, 299/300*^, 301*, 306, 309* (81उम्मीदवार/92 आवेदन) * अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से अलग सेमांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन जो उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजे गए हैं। यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पहले दस्तावेजप्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदन को अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।	
<u>शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक</u>	अस्वीकरण श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू क	005, 015, 017/018^, 025, 028, 033, 036, 044, 047, 072, 092, 114, 121, 122, 123, 125, 128, 139, 153, 154, 158, 159, 161, 170, 174, 198, 199, 218, 219, 229, 232, 237, 238, 244, 246, 258, 263, 281, 282, 284, 293, 303, 304 (43 उम्मीदवार/44 आवेदन)
	एलईक्यू ख	002/003^, 009, 014, 026, 027, 038, 054, 055, 062, 082, 088, 098/099^, 106, 124, 126, 140, 173, 176, 186, 189, 200, 215, 220, 221, 266, 267, 268, 277, 278, 286, 288, 294 (32 उम्मीदवार/34 आवेदन)
अपूर्ण	012, 016, 022, 049, 053, 057, 060, 074, 081, 086, 095, 116, 118, 120, 136, 146, 150, 160, 163, 167, 171, 180, 204, 211, 249/250^, 262, 265, 270, 271, 287, 297, 298, 302, 305 (34उम्मीदवार/ 35 आवेदन)	

	अधिक आयु	187, 188, 113 (03 उम्मीदवार)
	एलईसी	046, 089, 104, 208, 209, 228, 239 (07 उम्मीदवार) एवं सभी शेष उम्मीदवार जिनके अनुक्रमांक ऊपर उल्लिखित नहीं हैं।
^ समामेलित आवेदन		

- 18रिक्तियों में से 01 रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता (एसएलडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 01-पीडब्ल्यूबीडी रिक्ति के विरुद्ध कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। 01-पीडब्ल्यूबीडी रिक्ति को भरने की भर्ती प्रक्रिया संवीक्षा स्तर पर निष्फल हो गई है। 01-पीडब्ल्यूबीडी रिक्ति के निष्फल होने के कारण, 01-अना. रिक्ति को रिक्त रखा जा सकता है।
- -02ईडब्ल्यूएस रिक्तियों के विरुद्ध कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए। ईडब्ल्यूएस -02 , रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया संवीक्षा चरण पर निष्फल हो गई है।

संकेतक:

- (i) एलईक्यू (क) : अनिवार्य योग्यता की कमी (शैक्षिक)।
- (ii) एलईक्यू (ख) : अनिवार्य योग्यता की कमी (अनुभव)।
- (iii) एलईसी : बढ़ाए गए मानदंड की कमी।

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. जिन उम्मीदवारों को उनके ऑन-लाइन आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर पृथक रूप से ई-मेल के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के अध्यक्षीन साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वे दिनांक **17.05.2024** तक ई-मेल आईडी **usr5.upsc@nic.in** पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने पर आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. वे उम्मीदवार जो इस पद के साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार अपने आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक **17.05.2024** तक उचित आधारों / कारणों के साथ अभ्यावेदन **usr5.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात् प्राप्त मेल खोली नहीं जाएंगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधारों / कारणों, अपनाए गए मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। हालांकि, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इसकी जांच की जाएगी। इसके पश्चात्, संशोधित और अद्यतित संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड की जाएगी। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का व्यक्तिगत रूप से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा।

3. उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक के साथ आयोग की वेबसाइट पथ पर अपलोड कर दी गई है :

मुख पृष्ठ >> भर्ती >> भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन वार)>> आवेदकों की सूची व संवीक्षा

टिप्पणी : साक्षात्कार कार्यक्रम नियत समय पर अपलोड कर दिया जाएगा।

अवर सचिव (भर्ती.V)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।